



सं रा.बैं.प्र.का / जीएसडी / 39390 / एएमआई-3 / 2025-26

10 जून 2025

परिपत्र संख्या: 149 /सरकारी योजना विभाग-3 /2025

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
राज्य सहकारी बैंक / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य संस्थाएं

महोदया / प्रिय महोदय,

विषय: आईएसएएम की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना के कार्यान्वयन को अगला आदेश होने तक स्थगित करना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश एफ. संख्या एम11011/12/नई योजना/2019-एएमआई (भाग 2) - भाग (1) (115686) दिनांक 10 जून 2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से सूचित किया है कि एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना के अंतर्गत आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। तदनुसार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आईएसएएम की एएमआई उप-योजना के कार्यान्वयन को तत्काल प्रभाव से अर्थात् 10 जून 2025 से स्थगित रखा जाए।

2. पुनः आईएसएएम की एएमआई उप-योजना के अंतर्गत कोई नई मंजूरी तब तक जारी नहीं की जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए बजटीय आवंटन की सूचना नहीं दी जाती।

3. यह भी सूचित किया जाता है कि नई एएमआई दावों को प्रस्तुत करने के लिए ENSURE पोर्टल को अस्थायी रूप से अक्षम कर दिया गया है और सभी स्तरों पर लंबित दावों को डीएमआई, भारत सरकार के अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए।

4. कृपया तदनुसार अपने नियंत्रक कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक कार्यालयों /जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों के मामले में) और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शाखाओं को सूचित करें।

भवदीय

सी. गणेशन

(सी गणेशन)

महाप्रबंधक

संलग्न : उपरोक्तनुसार

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

F. No. M-11011/12/New Scheme/2019-AMI(Pt-2)-Part(1) (115686)

**Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
(Agricultural Marketing Division)**

478, Krishi Bhawan, New Delhi
Dated:10.06.2025.

To,

- (i) Joint Agricultural Marketing Adviser (Jt-AMA)
Directorate of Marketing & Inspection
DMI Faridabad.
- (ii) The Chairman,
NABARD,
Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051.

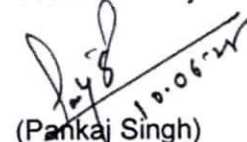
Subject: Sanction of subsidy for new projects under Agricultural Marketing Infrastructure sub scheme of ISAM-reg.

Sir/Madam,

I am directed to inform that the allocated budget under Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) Sub Scheme of ISAM, has been fully utilized, and no further funds are available. Hence the implementation of AMI Sub Scheme of ISAM may be kept in abeyance.

- 2. No new sanction may be issued till budgetary provision is communicated.
- 3. This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully



(Pankaj Singh)

Under Secretary to Govt. Of India
[e-mail: pankaj.singh@gov.in]
(Tel No.23381557)